FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Faridabad **Year (वर्ष):** 2022

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0021 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 16/06/2022 22:50 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	166
3	IPC 1860	167
4	IPC 1860	201
5	IPC 1860	218
6	IPC 1860	409
7	IPC 1860	420
8	IPC 1860	467
9	IPC 1860	468
10	IPC 1860	471
11	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13
12	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 16/06/2022 **Time (समय):** 22:33 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 012 **Date and Time (दिनांक और समय):** 16/06/2022 22:33 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** WEST, 12.00 Km **Beat No. (बीट सं.):** (s)

   (b) Address (पता): नगर निगम फरीदाबाद,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): DSP Kailash chand

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 07/03/1979 **(d) Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**PS SVB FBD, FARIDABAD, HARYANA, INDIA**
2	**Permanent Address**	**PS SVB FBD, FARIDABAD, HARYANA, INDIA**

(j) Phone number (दूरभाष सं.): **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9971079337

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	सतबीर सिह ठेकेदार			1. MC FARIDABAD,FARIDABAD,HARYANA,INDIA
2	शेर सिह सहायक अभियन्ता			1. MC FARIDABAD,FARIDABAD,HARYANA,INDIA
3	राजन तेवतिया जे0ई0			1. MC FARIDABAD,FARIDABAD,HARYANA,INDIA
4	दीपक कुमारसहायक कनिष्ठअभियन्ता			1. MC FARIDABAD,FARIDABAD,HARYANA,INDIA
5	रमन शर्मा कार्यकारी अभियन्ता			1. MC FARIDABAD,FARIDABAD,HARYANA,INDIA
6	दौलतराम भास्कर मु0 अभियन्ता			1. MC FARIDABAD,FARIDABAD,HARYANA,INDIA
7	पंकज कुमार लिपिक			1. MC FARIDABAD,FARIDABAD,HARYANA,INDIA
8	प्रदीप लिपिक			1. MC FARIDABAD,FARIDABAD,HARYANA,INDIA
9	तसलीम लिपिक			1. MC FARIDABAD,FARIDABAD,HARYANA,INDIA
10	दीपक थापर सयुक्त आयुक्त ओडिट			1. MC FARIDABAD,FARIDABAD,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

सेवा में

प्रबन्धक अफसर,

थाना राज्य चैकसी ब्यूरो,

फरीदाबाद मण्डल, फरीदाबाद।

श्रीमान जी,

जांच क्रमांक नं0 02 दिनांक 10.02.2021 फरीदाबाद मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चैकसी विभाग कार्यालय के यादि क्रमांक 52/45/2020-5 चैकसी(ाा) दिनांक 05.02.2021 की अनुपालना मे महानिदेिशक राज्य चैकसी ब्यूरो(ह0) पंचकुला कार्यालय मे दर्ज रजिस्ट्रर होकर उनके कार्यालय के पृश्ठांकन 2423/प्-2/ैटठभ्द्ध क्ंजमक 10ण्02ण्2021 के अनुसार शिकायतकर्ता दीपक चैधरी पार्शद वार्ड 37, फरीदाबाद की षिकायत पर दर्ज रजिस्ट्रर होकर पडताल हेतु इस मण्डल मे प्राप्त हुई थी तथा मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चैकसी विभाग कार्यालय के यादि क्रमांक 52/45/2020-5 चैकसी(II) दिनांक 04.05.2021 की अनुपालना मे महानिदेशक राज्य चैकसी ब्यूरो(ह0) पंचकुला कार्यालय के पृश्ठांकन 7021/I-2SVB(H) DATED 07.05.2021 के अनुसार अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, गुप्तचर विभाग, हरियाणा, पंचकुला की रिपोर्ट को उपरोक्त जांच मे सम्मलित करने के आदेश प्राप्त हुऐ थे। जिनमे नगर निगम फरीदाबाद के अकाउंटस व इंजिनियरिंग विभाग के अधिकारियो व कर्मचारियो के विरूद्ध आरोप न0 5 में आरोप था कि:-

नगर निगम फरीदाबाद द्वारा वार्ड नं0 8, 9 व 10 मे कराये गये निम्न वर्णित चारो कार्यो के लिये सतबीर ठेकेदार की फर्मो को समान भुगतान किया गया है जिसमे इंटरलाकिन्ग टाईल्स के लिये इन वार्डो मे 4,45,402/- रुपये के हिसाब से कुल 12 भुगतान जो कि कुल राषी 53,44,824/- रुपये किया गया है इसी प्रकार स्टोन मैटल की सप्लाई के लिये 4,45,200/- रुपये के हिसाब से 11 कामो के लिये कुल 48,97,200/- रुपये का भुगतान किया गया है इसी प्रकार से गलियो मे पुलियाॅ बनाने के कार्य के लिये 4,39,913/- रुपये के हिसाब से 11 कामो के लिये कुल 48,39,043/- रुपये का भुगतान किया गया है और इन वार्डो मे नालियो की मरम्मत के कार्य के लिये 4,36,203/- रुपये के हिसाब से कुल 11 कामो के लिये कुल 47,98,233/- रुपये का भुगतान किया। इसी प्रकार वार्ड नं0 33, 34 व 35 मे भी सतबीर ठेकेदार की फर्मो को समान भुगतान किया गया है जिसमे इंटरलाकिन्ग टाईल्स के लिये वार्ड नं 33 और 35 मे 4,76,270/- रुपये के हिसाब से कुल 2 भुगतान अनुसार 9,52,540/- रुपये की राषी का भुगतान किया गया है, इसी प्रकार स्टौन मैटल की सप्लाई के लिये वार्ड नं0 34 व 35 मे 4,65,600/- रुपये के हिसाब से 2 कामो के लिये कुल 9,31,200/- रुपये का भुगतान किया गया है इसी प्रकार से गलियो मे पुलियाॅ बनाने के कार्य के लिये वार्ड नं0 33 व 35 मे 4,60,071/- रुपये के हिसाब से 2 कामांे के लिये कुल 9,20,142/- रुपये का भुगतान किया गया।

आरोप न0 5 की पडताल के दौरान प्राप्त किये गये कथनो व प्रलेखो के अवलोकन से पाया गया कि (i) इंटरलाॅकिंग टाईलो के सम्बंध में परिवादी द्वारा षिकायत मे 4,45,402/- रुपये प्रत्येक बिल के हिसाब से 12 बिलो की अदायगी नगर निगम फरीदाबाद द्वारा की जानी दर्षाई गई है परन्तु नगर निगम फरीदाबाद द्वारा ठेकेदार सतबीर सिहं की फर्म सतबीर सिहं काॅन्ट्रैक्टर को वार्ड न0 34, 35, 36, 37, 38, 39 व 40 के लिये 7 भुगतान एक समान 4,55,402/- रुपये प्रति कार्य के हिसाब से 31,87,814/- रुपये व वार्ड न0 8, 10(2) व 33 के लिये 4 भुगतान एक समान 4,81,180/- रुपये प्रति कार्य के हिसाब से 19,24,720/- रुपये कुल 51,12,534/- रुपये के करने पाये गये है उक्त 4 भुगतानो का विभाग द्वारा ट।ज् नही काटना पाया गया है तथा 1 बिल नगर निगम फरीदाबाद से प्राप्त नही हुआ है, (ii) स्टोन मैटल के सम्बंध में परिवादी द्वारा षिकायत मे 4,45,200/- रुपये प्रत्येक बिल के हिसाब से 11 बिलो की अदायगी नगर निगम फरीदाबाद द्वारा की जानी दर्षाई गई है परन्तु नगर निगम फरीदाबाद द्वारा ठेकेदार सतबीर सिहं की फर्म सतबीर सिहं काॅन्ट्रैक्टर को वार्ड न0 34, 35, 36, 37, 38, 39 व 40 के लिये कुल 7 भुगतान किये जाने पाये गये है जिनमे सभी 7 भुगतान एक समान 4,45,200/- रुपये प्रति कार्य 31,16,400/- रुपये का करना पाया गया है तथा 4 बिल नगर निगम फरीदाबाद से प्राप्त नही हुए है (iii) पुलिया बनाने के सम्बंध में परिवादी द्वारा शिकायत मे 4,39,913/- रुपये प्रत्येक बिल के हिसाब से 11 बिलो की अदायगी नगर निगम फरीदाबाद द्वारा की जानी दर्षाई गई है परन्तु नगर निगम फरीदाबाद द्वारा ठेकेदार सतबीर सिहं की फर्म सतबीर सिहं काॅन्ट्रैक्टर को वार्ड न0 34, 35, 36, 37, 38, 39 व 40 के लिये 7 भुगतान एक समान 4,39,913/- रुपये प्रति कार्य के हिसाब से 30,79,391/- रुपये व वार्ड न0 8(2), 10 व 34 के लिये 4 भुगतान एक समान 4,64,814/- रुपये प्रति कार्य के हिसाब से 18,59,256/- रुपये, कुल 49,38,647/- रुपये करने पाये गये है उक्त 4 भुगतानो का विभाग द्वारा ट।ज् नही काटना पाया गया है, (IV) नालियो की मरम्मत के सम्बंध में परिवादी द्वारा षिकायत मे 4,36,203/- रुपये प्रत्येक बिल के हिसाब से 11 बिलो की अदायगी नगर निगम फरीदाबाद द्वारा की जानी

दर्षाई गई है परन्तु नगर निगम फरीदाबाद द्वारा ठेकेदार सतबीर सिहं की फर्म सतबीर सिहं कान्ट्रैक्टर को वार्ड न0 34, 35, 36, 37, 38, 39 व 40 के लिये 7 भुगतान एक समान 4,36,203/- रुपये प्रति कार्य के हिसाब से 30,53,421/- रुपये व वार्ड न0 9, 33 व 34 के लिये 3 भुगतान एक समान 4,60,894/- रुपये प्रति कार्य के हिसाब से 13,82,682/- रुपये कुल 44,36,103/- रुपये करने पाये गये है उक्त 3 भुगतानो का विभाग द्वारा VAT नही काटना पाया गया है तथा 1 बिल नगर निगम फरीदाबाद से प्राप्त नही हुआ है, जांच की पडताल के दौरान यह भी पाया गया कि सतबीर सिंह ठेकेदार एवं उसकी फर्म द्वारा उपरोक्त कार्य को कराने मे ना तो किसी प्रकार का कोई एस्टीमेट तैयार किया गया, ना ही किसी प्रकार का कोई टैण्डर दिया गया । कार्यो से सम्बन्धित लेखा-जोखा मेजरमैन्ट बुक मे होता है वह मेजरमैन्ट बुक भी नगर निगम फरीदाबाद के अधिकारियो एवं कर्मचारियो द्वारा उपलब्ध नही कराई गई है।WMS SOFTWARE पर इन्द्राज का कोई रिकार्ड उपलब्ध नही कराया गया है। सतबीर सिंह ठेकेदार एवं नगर निगम के अधिकारियो एवं कर्मचारियो की मिलीभगत से सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया है। इसके अतिरिक्त सतबीर सिंह ठेकेदार एवं नगर निगम के अधिकारियो/कर्मचारियो द्वारा उपरोक्त कार्यो का भौतिक निरीक्षण कराने मे पूर्णतया विफल रहे है।

उपरोक्त कार्यो के सम्बंध में यह सम्भव ही नही है कि इन सभी वार्डो मे सभी कार्यो की पैमाईस एक जैसी हो और उनमे एक समान भुगतान हो सके। अतः यह सभी भुगतान पूरी तरह से फर्जी है। सतबीर सिहं ठेकेदार को उपरोक्त कार्यो के लिये 1,76,03,684/- रुपये की राषी का भुगतान किया गया है उपरोक्त सभी कार्यो के लिये कोई टैन्डर आमंत्रित नही किये गये। सभी काम स्वीकृतियो के माध्यम से बिना ऐस्टीमेट पास कराऐ दर्षाऐ गये है जो बिना इंजिनियरिन्ग विभाग, लेखा विभाग व आडिट विभाग की मिलीभगत के सम्भव नही है।

जिस पर सतबीर सिंह ठेकेदार मालिक सतबीर सिहं कान्ट्रक्टर, षेर सिंह तत्कालीन सहायक अभियन्ता, राजन तेवतिया तत्कालीन कनिश्ठ अभियन्ता, दीपक कुमार तत्कालीन सहायक कनिश्ठ अभियन्ता, रमन षर्मा कार्यकारी अभियन्ता, दौलतराम भास्कर (डी0आर0 भास्कर) मुख्य अभियन्ता, पंकज कुमार लिपिक, प्रदीप लिपिक, तस्लीम लिपिक अकाउंट ब्रान्च नगर निगम फरीदाबाद, दीपक थापर तत्कालीन संयुक्त आयुक्त अंकेक्षण (आडिट) के विरुद्व धारा 166, 167, 218, 420, 409, 467, 468, 471, 120बी0, 201 भा0द0स0 व 7, 13 भ्रश्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अभियोग अंकित करने बारे अनुमोदन मांगा गया था।

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार चैकसी विभाग कार्यालय के यादि क्रमांक 52/45/2020-2टसस दिनांक 06.04.2022 व महानिदेषक राज्य चैकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला कार्यालय के पृश्ठांकन क्रमांक 5603/आई-2/एस0वी0बी0 (ह0) दिनांक 07.04.2022 के अनुसार जांच रिपोर्ट के आरोप नं0 5 में दिये गये आरोप के सम्बंध में उपरोक्त आरोपियान के विरूद्ध 166, 167, 218, 420, 409, 467, 468, 471, 120बी0, 201 भा0द0स0 व 7, 13 भ्रश्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अभियोग दर्ज करने बारे आदेष प्राप्त हुये है।

उपरोक्त आरोप न0 5 के अनुसार उपरोक्त सतबीर सिंह ठेकेदार मालिक सतबीर सिहं कौन्ट्रक्टर , शेर सिंह तत्कालीन सहायक अभियन्ता, राजन तेवतिया तत्कालीन कनिश्ठ अभियन्ता दीपक कुमार तत्कालीन सहायक कनिश्ठ अभियन्ता, रमन षर्मा कार्यकारी अभियन्ता, दौलतराम भास्कर (डी0आर0 भास्कर) मुख्य अभियन्ता, पंकज कुमार लिपिक, प्रदीप लिपिक, तस्लीम लिपिक अकाउंट ब्रान्च नगर निगम फरीदाबाद, दीपक थापर तत्कालीन संयुक्त आयुक्त अंकेक्षण (आडिट) के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के तहत अभियोग अकिंत किया जावे। इसके अतिरिक्त किसी अन्य अधिकारी/कर्मचारी व प्राईवेट व्यक्ति की संलिप्तता पाई जावे तो उसे भी तफतीस के दौरान देख लिया जावे और विशयांकित मूल आरोपों से अतिरिक्त अन्य रनिंग व रिवाईज्ड बिल नगर निगम फरीदाबाद से प्राप्त हुय हैं उन्हें भी अभियोग की तफ्तीष के दौरान देख लिया जाये।

इसके अतिरिक्त जाँच के दौरान पता चला हैं कि नगर निगम फरीदाबाद द्वारा सतबीर सिंह ठेकेदार व उसकी विभिन्न फर्मो को वर्श 2015-20 तक लगभग 1,83,83,34,657 रूप्ये का भुगतान करके अधिकारियों द्वारा भ्रश्टाचार करके सरकारी पैसे का गबन किया हैं। अभियोग संख्या 11/22 में लगभग 1.97 करोड रूप्ये तथा अभियोग संख्या 13/22 में 4.90 करोड रूप्ये के भुगतान से सम्बन्धित तफ्तीष की जा रही है इसके अतिरिक्त जाँच संख्या 6/19 फरीदाबाद में लगभग 5.75 करोड तथा जाँच क्रमांक 6/21 फरीदाबाद में लगभग 4.93 करोड रूप्ये के भुगतान से सम्बन्धित जांच की जा रही हैं।

तहरीर अभियोग अंकित करने के लिये ई0एच0सी0 उधम सिंह नं0 698/पलवल के माध्यम से थाना भेजी जा रही है। अभियोग अंकित करके नम्बर से सूचित किया जावे। स्पेषल रिपोर्ट डयूटि मैजिस्ट्रेट व अधिकारीगण के पास बिना किसी देरी के भिजवाई जावे। अभियोग की आगामी तफतीष के लिये फाईल पुलिस अधीक्षक राज्य चैकसी ब्यूरो,

फरीदाबाद के आदेशानुसार नि0 सन्तराम, रा0चै0 ब्यूरो फरीदाबाद मण्डल फरीदाबाद के पास भिजवाई जावे। आमदा रिकार्ड साथ सलंग्न है। SD- KAILASH CHAND (कैलाशचन्द) ह0पु0से0, उप पुलिस अधीक्षक थाना राज्य चैकसी ब्यूरो, फरीदाबाद मण्डल, फरीदाबाद। At. 10.00 PM अज थाना - हस्ब आमद तहरीर पर मुकदमा नम्बर- 21 दिनांक 16.06.2022 U/S 166, 167, 218, 420, 409, 467, 468, 471, 120बी0, 201 भा0द0स0 व 7, 13 भ्रश्टाचार निवारण अधिनियम 1988 PC ACT PS SVB फरीदाबाद दर्ज रजि0 किया जाकर FIR की स्पेशल रिपोर्ट नियमानुसार कमप्युटराईज द्वारा तैयार करके बदस्त स्पेशल EHC उधम सिह न0 698/पलवल के की जाकर सम्बन्धित अफसरान बाला वा ईलाका मजिस्ट्रैट की सेवा में भेजी जा रही है। नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर SVB फरी0 मे रखी गई है जो आगामी कार्यवाही हेतु INSP सन्तराम के हवाले की जा रही है। नोट:- यह मुकदमा INSP बिजेन्द्र सिह की हाजरी में दर्ज किया गया वा इस अभियोग कि प्रथम सूचना रिपोर्ट को सर्वजनिक करना अनुशंधान के हित में नही है इसलिए प्रथम सूचना रिपोर्ट को गोपनीय रखा जा रहा है ।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Sant Ram **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 1030FBD **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

14. **Name (नाम):** Abhishek Jorwal

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

No. (सं.): IPS

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Error: Subreport could not be shown.